बुकबुका में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे की शिकायत

झामुमो के खलारी प्रखंड अध्यक्ष श्यामजी महतो और विधायक प्रतिनिधि मोनू रजक और मो. सरफराज खान ने अंचल अधिकारी को दिया ज्ञापन



खलारी : बुकबुका मौजा स्थित सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण की शिकायत सामने आई है। मामले को लेकर झामुमो के खलारी प्रखंड अध्यक्ष श्यामजी महतो और विधायक प्रतिनिधि मोनू रजक और मो. सरफराज खान ने अंचल अधिकारी एवं जिला प्रशासन को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच और सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की है। आवेदन के अनुसार, खलारी अंचल के बुकबुका मौजा स्थित खाता संख्या-6, प्लॉट संख्या-28 की कुल आठ एकड़ भूमि सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि पर बुकबुका पंचायत भवन, खलारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन, कर्मचारियों के आवास सहित अन्य सरकारी भवनों का निर्माण कराया गया है। आवेदन में बताया गया है कि इसी प्लॉट पर एसीसी की ओर से निर्मित दो बड़े आवासीय क्वार्टर (सी-टाइप बंगले) भी स्थित हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उक्त क्वार्टरों पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने और आसपास निर्माण कार्य कराए जाने की सूचना मिली है। शिकायतकताओं ने राजस्व अभिलेखों की जांच और स्थल निरीक्षण कराने की मांग की है।

अंचल अधिकारी प्रणव अंभष्ट ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद राजस्व कर्मचारी, पंचायत सेवक और पर्यवेक्षक के माध्यम से निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। इसके बाद आवेदन भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेख और स्थल की स्थिति की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

37वीं अखिल भारतीय जूडो एवं कुराश प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ

पिस्का नगड़ी : विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के तत्वावधान में उत्तर पूर्व क्षेत्र के झारखंड अंतर्गत रांची के कुदलुम स्थित आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 37वीं अखिल भारतीय जूडो एवं कुराश प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित भैया-बहन प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता की प्रस्तावना रखते हुए विद्या भारती के जूडो एवं कुराश पर्यवेक्षक तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सचिव दिनेश कुमार ने कहा कि विद्या भारती प्रारंभ से ही बालकों के पंचकोशीय विकास को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। पंच प्रमुख विषयों में शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेलकूद का विशेष महत्व है। इसी उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देशभर के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित भैया-बहन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता भैया-बहन एसजीएफआई प्रतियोगिता में सीधे भाग लेंगे। विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के संगठन मंत्री ख्याली राम ने कहा कि प्रतियोगिता में जीत और हार दोनों ही सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। विजेता अपने प्रदर्शन का आकलन कर यह सीखता है कि सफलता को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, वहीं हारने वाला भी अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रदर्शन से सीख लेकर अपनी कमियों को दूर कर सकता है। उन्होंने कहा कि खेलों में सफलता के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर से ही बेहतर शारीरिक क्षमता का विकास संभव है। खेल व्यक्ति में अनुशासन की भावना विकसित करते हैं और इसी अनुशासन के माध्यम से देशहित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अध्यक्षीय आशीर्वचन में विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री एवं कार्यक्रम के संयोजक राम अवतार नारसरिया ने सभी प्रतिभागी भैया-बहनों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लें और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ें।

'गृह चिकित्सा योजना' तत्काल लागू करने की मांग, प्रधानमंत्री को भेजा मांग पत्र

रांची : आम नागरिकों को सुलभ एवं तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्नावादी इंसाफ पार्टी के केंद्रीय संयोजक सह अधिवक्ता कफीलूर रहमान ने देश में तत्काल ह्यगृह चिकित्सा योजनाह्ल लागू करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा है। मांग पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एवं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को भी भेजी गई है। मांग पत्र में कफीलूर रहमान ने कहा है कि वर्तमान समय में आम नागरिक विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के साथ महंगी चिकित्सा व्यवस्था से भी जूझ रहे हैं। उनके अनुसार, निजी अस्पतालों में छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज में भी बड़ी राशि खर्च हो जाती है, जबकि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण दबाव बना रहता है। उन्होंने मांग की है कि आम लोगों को घर पर ही प्राथमिक एवं तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी राज्यों में सरकारी एवं गैर-सरकारी डॉक्टरों, नर्सों तथा स्वास्थ्यकर्मियों की टीम गठित की जाए। इन स्वास्थ्यकर्मियों को प्रत्येक सेवा के लिए सरकार की ओर से उचित मानदेय दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। कफीलूर रहमान ने मांग पत्र में योजना के लिए आम नागरिकों से वार्षिक सामान्य चिकित्सा पंजीकरण शुल्क लेने तथा कुल स्वास्थ्य बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा इस योजना में लगाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि ऐसी व्यवस्था लागू होने से छोटी-मोटी और तत्काल चिकित्सा जरूरतों के लिए मरीजों को बार-बार सरकारी या निजी अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे मरीजों और उनके परिजनों के समय एवं धन, दोनों की बचत हो सकती है। उन्होंने कहा कि घर-घर में बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए ऐसी व्यवस्था पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनके अनुसार, ह्यगृह चिकित्सा योजनाह्ल आम नागरिकों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है।

30 सितंबर तक ही मौका, एसआईआर में दावे-आपत्तियां दाखिल करें



खलारी: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम विलोपित कराने, किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने, नाम-पता सहित अन्य विवरण में सुधार और स्थानांतरण के लिए दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित है। समय सीमा समाप्त होने में अब महज छह दिन शेष हैं। प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर फॉर्म-6, किसी नाम पर आपत्ति या नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार एवं स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन ECINET के माध्यम से ऑनलाइन या संबंधित बीएलओ के जरिए जमा किया जा सकता है। दावा-आपत्ति के लिए खतियान, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाणपत्र, सरकारी पहचान पत्र अथवा वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वर्ष 2003 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को स्वयं के साथ माता-पिता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध रखने होंगे। बीडीओ सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी प्रणव अंभष्ट ने कहा कि जिन पात्र मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं है या विवरण में त्रुटि है, वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना संबंधित बीएलओ से संपर्क कर दावा-आपत्ति दाखिल करें। उन्होंने मतदाताओं से अपने नाम और विवरण की जांच करने की अपील की।

एनएसएस दिवस पर लाली गांव में निकली जागरूकता रैली

रांची : राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) दिवस के अवसर पर वाईबीएन विश्वविद्यालय, रांची की एनएसएस इकाई की ओर से गोद लिए गए लाली गांव, नामकुम में कैच द रेन कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ग्रामीणों एवं आमजनों को वर्षा जल संरक्षण, जल संचयन और जल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। एनएसएस स्वयंसेवकों ने रैली के दौरान ह्ववर्षा जल बचाएं, जल संकट दूर भगाएंह्व सहित जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न संदेशों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया। स्वयंसेवकों ने कहा कि वर्षा जल का संरक्षण वर्तमान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद जरूरी है। जल स्रोतों को सुरक्षित रखने और पानी के अनावश्यक दोहन को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। कार्यक्रम में वाईबीएन विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक डॉ. कौशल किशोर एवं संतोष कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन करते हुए जल संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप देने और समाज के अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। रैली में एनएसएस स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए ग्रामीणों के बीच जल संरक्षण के महत्व का संदेश पहुंचाया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ समाज में जल के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना को मजबूत करना रहा।

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिये तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय क्षमता एवं पर्याप्त अनुभव रखनेवाले ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठानों/एजेंसियों/संवेदकों 'सिंगल पैकेट बिड' पर ई–निविदायें आमंत्रित है। **(1)निविदा संख्या एवं दिनांक :–e-tender Notice No. MC-10-OPEN-2026-27** दिनांक 22/09/2026 **(2)कार्य का नाम, स्थान तथा समापन अवधि:**गढ़वा रोड स्टेशन पर त्वरित पानी भरने की व्यवस्था की स्थापना। कार्य समापन अवधि–06 महिना **(3)कार्य की अनुमानित लागत:**रु. 3,76,63,854.99 (तीन करोड़ छिहत्तर लाख तिरसठ हजार आठ सौ चौवन रुपये और निन्यानवे पैसे) मात्र। **(4)बयाना राशि:**रु.7,53,300.00(सात लाख तिरेपन हजार तीन सौ रुपये) मात्र। **(5)ई–निविदा बंद होने की तारीख एवं समय, ई–निविदा खुलने की तारीख एवं समय:**तारीख 13.10.2026 को 17:00 बजे, तारीख 13.10.2026 को 17:30 बजे **(6)बेवसाईट विवरण: https://www.ireps.gov.in** ई–निविदा के तहद मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जाएगी

मंडल रेल प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

पीआर/0980/डीएचएन/एमईसीएच/टी/26–27/28

AXIS BANK

एक्सिस बैंक लिमिटेड
दूसरी मंज़िल, प्रिसिध टॉवर, टाटा काड़ा रोड, आदित्यपुर, जमशेदपुर, झारखंड - 831013

कब्ज़े का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

(सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002 के नियम 8(1) के साथ पढ़े जाने वाले अपेंडिक्स IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, जो एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं, ने 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के तहत और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, एक डिमांड नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उधारकर्ता/गारंटर से कहा गया है कि वे नोटिस में बताई गई रकम को, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज दर, पेनल्टी ब्याज, चार्ज, लागत आदि के साथ, नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें।

चूंकि उधार लेने वाले/गारंटर रकम चुकाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उधार लेने वाले/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे बताई गई प्रॉपर्टी पर, नीचे दी गई तारीख को, संबंधित एक्ट की धारा 13(4) और संबंधित नियमों के नियम 8 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कब्ज़ा कर लिया गया है।

खास तौर पर उधार लेने वालों/गारंटर और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लेन-देन न करें। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन किया जाता है, तो वह एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकार (चार्ज) के अधीन होगा। इसमें नोटिस में बताई गई रकम के साथ-साथ उस पर ब्याज, पेनल्टी ब्याज, चार्ज और खर्च वगैरह शामिल होंगे, जो डिमांड नोटिस की तारीख से लागू होंगे।

सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता / गारंटर का नाम और पता	ए) नोटिस की तारीख तक बकाया राशि बी) डिमांड नोटिस की तारीख सी) कब्ज़े की तारीख
1. मेसर्स ए एच एंटरप्राइजेज (प्रोप्राइटर के ज़रिए), पता- डंडासाई, वार्ड नंबर 12, लक्ष्मी इन के पास, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड – 833102. **2. आतिफ़ हुसैन,** पिता अब्दुल गफूर, **3. अब्दुल गफूर,** पिता शेख खैरू, **4. सलमा खातून,** पत्नी अब्दुल गफूर, **सभी का पता:** 12 N, डंडासाई, थाना चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड – 833102.	ए) **रु. 15,37,531.15/-** (पंद्रह लाख सैंतीस हज़ार पाँच सौ इकतीस रुपये और पंद्रह पैसे मात्र) लोन अकाउंट नंबर ************0543** के तहत 13.01.2025 तक देय राशि **बी) 16.01.2025** **सी) 22.09.2026**

अचल संपत्ति (सुरक्षित परिसंपत्तियां) का विवरण

कोलेटरल सिक्योरिटी शेड्यूल (अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण) ज़मीन का वह सभी भाग और उस पर बनी सभी आरसीसी इमारतें और ढाँचे, यानी ग्राउंड + 3 मंज़िला इमारत, जिसका कुल क्षेत्रफल 03 डेसिमल + 03 डेसिमल यानी 06 डेसिमल है। यह ज़मीन खसरा नंबर 54 और 54 (H) (खाता नंबर 27) में स्थित है, जो वार्ड नंबर 13, पश्चिम सिंहभूम, अपर निबंधन कार्यालय, चाईबासा, थाना चक्रधरपुर, नगर पालिका, चक्रधरपुर, पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत आती है। सेल डीड के अनुसार खसरा नंबर 54 की सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: रास्ता / दक्षिण: निज (अपनी ज़मीन) / पूर्व: 4 फ़ीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क / पश्चिम: मो. गफ़ूर। और सेल डीड के अनुसार खसरा नंबर 54(H) की सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: रास्ता / दक्षिण: निज (अपनी ज़मीन) / पूर्व: सलमा खातून / पश्चिम: खसरा नंबर 50 B। और साइट (मौके) के अनुसार सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: 14 फ़ीट चौड़ी सड़क / दक्षिण: अरशद खान / पूर्व: 8 फ़ीट चौड़ा रास्ता / पश्चिम: खाली प्लॉट।

उधारकर्ता / गारंटर का नाम और पता	ए) नोटिस की तारीख तक बकाया राशि बी) डिमांड नोटिस की तारीख सी) कब्ज़े की तारीख
1. जगदंबा एग ट्रेडर्स (प्रोप्राइटर के ज़रिए), क्वार्टर नंबर-7/B, TR-टाइप रोड नंबर 1, N रोड, कोल्ड स्टोरेज के पास, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड -831001. साथ ही, टिस्को गेट, बिष्टुपुर गोलमुरी-कम-जुगसलाई, N रोड, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड-831001. **2. श्री जितेंद्र कुमार शॉ, पिता- स्वर्गीय नारायण शॉ** घर नंबर 150, बंगाली पाड़ा, L.P. स्कूल रोड, पोस्ट और थाना जुगसलाई, ज़िला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड-831006 **3. श्रीमती पल्लवी सुमन शॉ, पती-** श्री जितेंद्र कुमार शॉ घर नंबर 150, बंगाली पाड़ा, L.P. स्कूल रोड, पोस्ट और थाना जुगसलाई, ज़िला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड-831006	ए) रु. 90,44,954.67/- (नब्बे लाख चवालीस हज़ार नौ सौ चौवन रुपये और सड़सठ पैसे मात्र) लोन अकाउंट नंबर ************1332** के तहत 09.07.2026 तक देय। **बी) 09.07.2026** **सी) 21.09.2026**

अचल संपत्ति (सुरक्षित परिसंपत्तियां) का विवरण

अचल संपत्ति का विवरण: अनुसूची: संपार्श्विक सुरक्षा 1

खाली ज़मीन का सभी भाग, जो अब रहने लायक ज़मीन (होमस्टेड) के रूप में है और जिसका क्षेत्रफल 0-3-0 (तीन) कट्ठा या 4.95 डेसिमल है; यह नया प्लॉट नंबर 123 के हिस्से में है, जो नया खाता नंबर 86 के तहत दर्ज है। यह मौज़ा पारडीह, पी.एस. मैंगो, थाना नंबर 1641, सर्वे वार्ड नंबर 9, एमएनएसी, जिला सब-रजिस्ट्री ऑफिस और शहर जमशेदपुर, जिला सिंहभूम ईस्ट, परगना दालभूम, राज्य झारखंड में स्थित है। **सीमाएँ:** उत्तर: मधुसूदन बिल्डर / दक्षिण: महावीर ऑयल मिल / पूर्व: विक्रेता की अपनी ज़मीन (जो अब श्री जितेंद्र कुमार शॉ को बेच दी गई है) / पश्चिम: रास्ता। यह प्रॉपर्टी श्रीमती पल्लवी सुमन के नाम पर है।

कोलेटरल सिक्योरिटी 2: खाली ज़मीन का वह सभी भाग, जो अब रहने लायक ज़मीन (होमस्टेड) के रूप में है और जिसका क्षेत्रफल 0-5-0 (पाँच) कट्ठा या 8.25 डेसिमल है; यह नया प्लॉट नंबर 123 के हिस्से में है, जो नया खाता नंबर 86 के तहत दर्ज है। यह मौज़ा पारडीह, पी.एस. मैंगो, थाना नंबर 1641, सर्वे वार्ड नंबर 9, एमएनएसी, जिला सब-रजिस्ट्री ऑफिस और शहर जमशेदपुर, जिला सिंहभूम ईस्ट, परगना दालभूम, राज्य झारखंड में स्थित है। **सीमाएँ:** उत्तर: मधुसूदन बिल्डर / दक्षिण: महावीर ऑयल मिल / पूर्व: रास्ता / पश्चिम: विक्रेता की अपनी ज़मीन (जो अब श्रीमती पल्लवी सुमन को बेच दी गई है)।

तारीख: 25.09.2026
स्थान: जमशेदपुर, झारखंड

अधिकृत अधिकारी
एक्सिस बैंक लिमिटेड

पूर्व मध्य रेल

ई–निविदा सूचना

ई–निविदा संख्या ECR-DCE-DHN-02-26-27 कार्य का नाम, स्थान तथा समापन अवधि : पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल में उप मुख्य अभियंता (निर्माण) / धनबाद के अंतर्गत अलग–अलग रेल लाइन प्रोजेक्ट के निर्माण के सम्बन्ध में 2 साल के लिए उप मुख्य अभियंता (निर्माण)/धनबाद कार्यालय और परिसर का रखरखाव, बागवानी का काम और अन्य जरूरी काम।(24 महीने)। कार्य की लगभग (रूपये में) : ₹90,36,570.51,ब्याने की राशि (रु. में) : ब्याने की राशि http://www.ireps.gov.in पोर्टल पर दिखाये राशि के अनुसार लागू। निविदा बंद होने एवं खुलने की तारीख तथा समय : ई–निविदा बंद होने की तारीख 15.10.2026 को 15:00 बजे तक। ई–निविदा खुलने की तारीख 15.10.2026 को 17:30 बजे से। वेबसाइट का विवरण : http://www.ireps.gov.in. ई–निविदा के तहत मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जाएगी।

नोट : (i) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में सूचना में अंतर होने पर अंग्रेजी भाषा में सूचना ही मान्य होगी। (ii) प्रत्याशित निविदादाताओ को यह सलाह दी जाती है कि इस ई–निविदा की जारी होने की कोई भी परिवर्तन और शुद्धि पत्र की ओर ध्यान देने के लिए निविदा बंद होने की अंतिम तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले वेबसाइट http://www.ireps.gov.in अवलोकन करें। (iii) डाक/कूरियर/फैक्स या हाथ से भेजा गया कोई भी ई–निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा की ऐसी सभी मैन्युअल प्रस्तुति, चाहे वह फर्म के लेटर पैड पर हो या समय पर प्राप्त हो, स्वीकार नहीं की जाएगी। उपरोक्त ई–निविदा दस्तावेज और पूरी जानकारी वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

उप–मुख्य अभियंता (निर्माण)/
पूमरे/धनबाद

पीआर/0991/डीएचएन/अभि./टी/26–27/44

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN: L65910KL1992PLC006623,
Registered Office : W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.10. 2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

बोकारो, बोकारो स्टील सिटी, 0139360700005074, 5642, 5746, 5760, 5763, 5773, 5774, 5775, 5781, 5784, 5789, 5796, 5800, 5802, 5815, 5822, 0139360730014453, 4454, 4556, 4577, 4578, 4580, 4582, 4583, 4585, 4595, 4608, 4613, 4614, 4617, 4624, 4632, 4633, 4643, 4652, 4682, 4685, 4688, 4693, 4698, 4701, 4711, 4716, 4728, चास–बोकारो 0138460700007683, 8973, 9062, 9077, 0219, 0312, 0320, 0323, 0326, 0337, 0338, 0343, 0348, 0356, 0360, 0370, 0371, 0379, 0394, 0403, 0407, 0408, 0413, 0426, 0435, 0436, 0442, 0448, 0452, 0453, 0454, 0459, 0469, 0472, 0474, 0488, 0489, 0493, 0498, 0500, 0138460730030926, 0973, 1059, 1096, 1104, 1163, 1185, 1236, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1258, 1269, 1270, 1271, 1275, 1281, 1293, 1320, 1327, 1341, 1345, 1357, 1361, 1371, 1372, 1374, 1380, 1381, 1389, 1390, 1392, 1395, 1398, 1409, 1415, 1435, 1437, 1438, 1447, 1448, 1449, 1452, 1454, 1458, 1461, 1464, 1465, 1466, 1468, 1478, 1482, 1483, 1499, 1500, 1501, 1503, 1511, 1516, 1521, 1523, 1524, 1529, 1533, 1540, 1541, 1544, 1545, 1547, 1554, 1563, 1565, 1569, 1571, 1577, 1585, 1586, 1591, 1593, 1594, 1601, 1602, 1606, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1624, 1625, चास–बोकारो स्टील सिटी, 0135740700025623, 6906, 0414, 0444, 0454, 0466, 0486, 0529, 2118, 2125, 2192, 2230, 2264, 2269, 2282, 2289, 2290, 2292, 2302, 2305, 2306, 2317, 2325, 2338, 2346, 2357, 2363, 2367, 2369, 2373, 2377, 2379, 2382, 2383, 2384, 2386, 2387, 2389, 2393, 2402, 2407, 2418, 2423, 2428, 2430, 2436, 2437, 2438, 2439, 0135740730043768, 0078, 2070, 4210, 4378, 4502, 4505, 4545, 4546, 4725, 4814, 4873, 4884, 4927, 4931, 4936, 4938, 4939, 4942, 4943, 4944, 4945, 4947, 4950, 4951, 4965, 4966, 4967, 4971, 4974, 5027, 5031, 5032, 5035, 5036, 5040, 5051, 5052, 5053, 5062, 5076, 5089, 5095, 5096, 5100, 5102, 5125, 5134, 5135, 5150, 5151, 5156, 5158, 5163, 5175, 5177, 5178, 5193, 5198, 5201, 5216, 5223, 5229, 5233, 5236, 5246, 5271, 5291, 5304, 5308, 5320, 5321, 5324, 5325, 5326, 5331, 5340, 5345, 5349, 5356, 5361, 5399, 5411, 0244, 0253, फुसरो, 0139350700007462, 7477, 7479, 7527, 7540, 7541, 7548, 7553, 8484, 8534, 8538, 8567, 8577, 8580, 8587, 8589, 8607, 8612, 8625, 8629, 8640, 8642, 8649, 8655, 8657, 8660, 8666, 8675, 8677, 8690, 8694, 8696, 0139350730008555, 9007, 0371, 2774, 3802, 0487, 0538, 0581, 0582, 0630, 0659, 0766, 0781, 0784, 0793, 0819, 0825, 0826, 0832, 0836, 0840, 0845, 0846, 0852, 0853, 0868, 0869, 0883, 0886, 0897, 0904, 0921, 0925, 0926, 0928, 0932, 0934, 0941, 0942, 0943, 0953, 0957, 0958, 0978, 0990, 0996, 1008, 1016, 1017, 1020, 1028, 0168, 0180, 0181, 0182, धनबाद, धनसर मोरे शाखा झारखंड, 0136110700014515, 4778, 5896, 5909, 5927, 5981, 6004, 6027, 6044, 7367, 7369, 7376, 7498, 7525, 7528, 7543, 7545, 7553, 7557, 7568, 7569, 7573, 7583, 7601, 7602, 7610, 7611, 7612, 7623, 7625, 7630, 7637, 7649, 7652, 7661, 7662, 7665, 7666, 7676, 7677, 7678, 7682, 7685, 7687, 7688, 7692, 7696, 7705, 7706, 7707, 7717, 7718, 7719, 7722, 0136110730034610, 6809, 7074, 6964, 7025, 7033, 7062, 7073, 7076, 7084, 7113, 7221, 7306, 7336, 7354, 7358, 7377, 7382, 7383, 7405, 7406, 7425, 7426, 7431, 7432, 7433, 7442, 7453, 7466, 7477, 7484, 7521, 7522, 7523, 7529, 7530, 7540, 7545, 7583, 7594, 7595, 7601, 7608, 7609, 7612, 7615, 7617, 7623, 7624, 7630, 7635, 7643, 7648, 7662, 7670, 7686, 7692, 7695, 7698, 7699, 7703, 7705, 7712, 7716, 7717, 7719, 7720, 7721, 7723, 7726, 7729, 7733, 0101, सरायढेला, 0136040700008888, 9493, 0945, 1106, 2034, 2075, 2087, 2089, 2107, 2108, 2116, 2118, 2126, 2128, 2134, 2136, 2139, 2141, 2142, 2144, 2152, 2154, 2162, 2164, 2172, 2173, 2180, 2181, 2182, 2189, 2191, 2195, 2199, 0136040730024486, 5206, 5291, 5292, 5293, 5360, 5378, 4931, 4932, 4986, 5093, 5095, 5103, 5106, 5131, 5134, 5150, 5157, 5159, 5165, 5173, 5174, 5179, 5211, 5218, 5219, 5235, 5238, 5240, 5241, 5242, 5245, 5246, 5248, 5249, 5254, 5272, 5276, 5284, 5292, 5295, 5296, 5297, 5300, 5301, 5328, 5333, 5345, 0168, 0173, हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड, 0135590700013994, 3995, 4021, 4046, 4130, 4132, 4134, 5413, 5417, 5420, 5422, 5425, 5426, 5427, 5429, 5433, 5434, 5444, 5446, 5449, 5464, 5470, 5472, 5495, 5505, 5508, 5515, 5526, 5533, 5535, 5538, 5540, 5546, 5554, 5555, 5565, 5572, 5574, 5577, 5580, 5582, 5586, 5591, 5597, 5600, 5601, 0135590730028748, 8784, 7632, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7757, 7758, 7814, 7939, 7957, 7972, 7975, 7977, 7984, 7989, 8000, 8001, 8006, 8007, 8012, 8015, 8026, 8027, 8028, 8033, 8034, 8035, 8036, 8044, 8045, 8051, 8058, 8071, 8093, 8094, 8098, 8102, 8103, 8109, 8116, 8122, 8125, 8126, 8127, 8131, 8133, 8138, 8139, 8140, 8147, 8158, 8164, 8180, 8181, 8182, 8184, 8185, 8189, 8197, 8204, 8207, 8218, 8220, 8228, 8231, 8239, 8240, 8242, 8250, 8251, 8253, 8255, 8262, 8266, 8271, 0255, जमशेदपुर, जुगसलाई, 0135540700015214, 5230, 5256, 5275, 5278, 5281, 6462, 6464, 6473, 6486, 6491, 6522, 6530, 6537, 6539, 6541, 6545, 6550, 6553, 6556, 6576, 6578, 6581, 6591, 6595, 0135540730027291, 3226, 3317, 3319, 3328, 3463, 3499, 3507, 3571, 3581, 3593, 3600, 3611, 3625, 3641, 3657, 3660, 3661, 3668, 3672, 3673, 3678, 3683, 3690, 3694, 3696, 3697, 3706, 3708, 3713, 3737, 0230, 0237, रांची, हीनू रांची, 0135500700021243, 5643, 5656, 5675, 5693, 5713, 5778, 5790, 5791, 5829, 5862, 7685, 7831, 7952, 7960, 7970, 7972, 7975, 7983, 7986, 7987, 8006, 8007, 8012, 8014, 8016, 8053, 8075, 8076, 8083, 8085, 8086, 8095, 8100, 8101, 8116, 8118, 8134, 8139, 8141, 8155, 8168, 8178, 8182, 8183, 8185, 8188, 8190, 8195, 8197, 8203, 8224, 0135500730030510, 4721, 4882, 8433, 5479, 5480, 5481, 5553, 2606, 2718, 2894, 3034, 3103, 3148, 3149, 3150, 3312, 3349, 3366, 3370, 3377, 3388, 3404, 3431, 3477, 3478, 3482, 3487, 3514, 3521, 3525, 3541, 3546, 3551, 3557, 3561, 3575, 3583, 3585, 3594, 3597, 3614, 3615, 3616, 3625, 3636, 3641, 3642, 3661, 3662, 3666, 3673, 3677, 3680, 3681, 3682, 3683, 3690, 3692, 3720, 3726, 3733, 3734, 3735, 3736, 3739, 3742, 3743, 3756, 3758, 3773, 3787, 3797, 3809, 3830, रातू रोड रांची, 0128920700044456, 1407, 5120, 5134, 5654, 5670, 5774, 5802, 5811, 5871, 5909, 8257, 8348, 8386, 8441, 8493, 8500, 8501, 8502, 8510, 8514, 8515, 8518, 8525, 8529, 8532, 8534, 8552, 8564, 8574, 8580, 8587, 8595, 8600, 8608, 8609, 8611, 8615, 8619, 8621, 8623, 8626, 8630, 8631, 8636, 8641, 8649, 8659, 8662, 8673, 8675, 8676, 8683, 8689, 8693, 8696, 8697,